न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 128 / 2024 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2024 / 143

1. तोली देवी पुत्री सिरीया उर्फ श्रीराम पत्नी मघाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम हुसंगसर तहसील व जिला बीकानेर।
2. किस्तुरी देवी पुत्री सिरीया उर्फ श्रीराम पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवंशी निवासी रोशनीघर चौराहा, बीकानेर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. हीराराम पुत्र सिरीया उर्फ श्रीराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. बल्लूराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
3. ओमाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. राजूराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
5. अशोक कुमार पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
6. कमला देवी पत्नी कानाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
7. बीरबल पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. स्टेट जरिये तहसील (राजस्व), बीकानेर।
9. गजानंद पुत्र रामदेव नायक निवासी रिड़मलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर जिला बीकानेर (आदेशिका दिनांक 14.07.2025)

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः	श्री जयचंदलाल सारस्वत	अभिभाषक अपीलांट
	श्री सत्यनारायणतिवाड़ी	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 7
	श्री विनोद कुमार पुरोहित	
	श्री सत्यपाल सिंह शेखावत	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 9
अनुपस्थितः	श्री लालचंद मेघवाल	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 24.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 30.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि वाके ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर स्थित खेत खसरा नंबर 159 तादादी 18 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलांट्स के पिता सिरिया उर्फ श्रीराम वल्द नानू कौम मेघवंशी के नाम से रिकार्डेड कब्जा व काश्त में चली आ रही थी। अपीलांट्स के पिता श्रीराम की मृत्यु होने के पश्चात् वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल संख्या 544 दिनांक 19.05.1986 रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 के पति व पिता कानाराम व माता लिछमा के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया। अपीलांट्स स्व. श्रीराम की पुत्रियां हैं। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष उक्त इंतकाल संख्या 544 दिनांक 19.05.1986 के विरूद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2024 पारित करते हुए खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि अपीलांट के पिता सिरिया उर्फ श्रीराम के नाम से सम्वत् 2013 से रिकॉर्डेड कब्जा व काश्त में चली आ रही है। अपीलांट के पिता श्रीराम की मृत्यु होने के पश्चात् इंतकाल संख्या 544 दिनांक 19.05.1986 को स्वीकृत किया गया, जिसमें जानबूझकर अपीलांट्स, जो श्रीराम की जायज पुत्रियां है, का नाम छोड़ दिया गया और अकेले रेस्पो. सं. 1 व रेस्पो. 2 ता 5 के पति व पिता कानाराम व माता लिछमा के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया, जबकि मौके पर अपीलांट्स सहित श्रीराम के सभी वारिसान काबिज होकर काश्त कर रहे है। अपीलाधीन इंतकाल संख्या 544, जो विरासतन दर्ज किया गया था, जिसमे अपीलांट्स के पिता सीरिया उर्फ श्रीराम के सभी वारिसों का नाम अंकन होना था परंतु उसमें अपीलांट्स पुत्रियों का नाम अंकित नहीं किया गया, जबकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तांबे निर्वसियती मृतक के सभी जायज वारिसानों के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नाम से इंतकाल स्वीकृत किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय में जरिये तहसीलदार पटवारी से वारिसान की पुष्टि करायी गई, जिसमें अपीलांट को सीरिया उर्फ श्रीराम के वारिस माना गया है। जैर अपील रकबा अनुसूचित जाति का है जिसे स्वर्ण जाति के व्यक्ति करणीसिंह पुत्र मोहनदार चारण ने बेनामी ट्रांजेक्शन के जरिए रेस्पो. सं. 7 बीरबल पुत्र मोतीराम जाति मेघवाल के नाम से खरीद कर रखा है और मौका पर प्लोटिंग कर आवासीय भूखंडों के रूप में विक्रय करने की फिराक में है, जो धारा 42 व धारा 175 आरटीए के विरूद्ध है। रेस्पो. सं. 7 अजनबी बेनामी क्रेता है जिसकी ओर से स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने मु. आ. बनकर पैरवी की है और अपीलांट्स को सिरिया के वारिस मानने से इंकार किया है जबकि रेस्पो. सं. 1 ता 6 जो अपीलांट्स के भाई भतीजे है ने अपीलांट्स को सिरिया के वारिसान माना है के अलावा तहसीलदार से वारिसान की पुष्टि करायी गई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों की अनदेखी करते हुए विधिविरूद्ध तरीके से निर्णय पारित करते हुए लिखा है कि "अपीलांट्स अपने अधिकारों को नियमित वाद के जरिए प्राप्त करने के अधिकारी है" जबकि अपीलांट्स के पास अपील का विकल्प मौजूद है और वह अपील के जरिए अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवाने की अधिकारी है जिस पर अधनस्थ न्यायालय ने न्याय की मंशा के विपरीत जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त फरमाया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैं:–

- आर.आर.टी. 2023(2) पेज संख्या 1040
- आर.आर.टी. 2025(1) पेज संख्या 612
- आर.आर.टी. 2024(1) पेज संख्या 179

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया कि सिरीया उर्फ श्रीराम के देहान्त के बाद इंतकाल सं. 544 दिनांक 19.05.1986 को उसके दो पुत्र क्रमश– कानाराम व हीराराम तथा उसकी पत्नि लिछमा के नाम स्वीकृत हुआ। इंतकाल स्वीकृत होने के बाद उसकी तथाकथित दोनो पुत्रिया तोली देवी एवं किस्तूरी देवी ने अपना तथाकथित अधिकार क्लेम नहीं करते हुए कोई कार्यवाही वादगत भूमि के संबंध में नहीं की। तत्पश्चात् लिछमा के स्वर्गवास के बाद भी उसकी उक्त दोनो तथाकथित पुत्रियों ने लिछमा के हिस्से की भूमि उसके दोनों पुत्रों के नाम विरासतन इंतकाल स्वीकृत होने के बाद भी अपने अधिकारों को अपील एवं नियमित राजस्व दावा पेश कर घोषण नहीं चाही।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कानाराम व हीराराम ने वादगत भूमि के खातेदारी अधिकार उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर से प्राप्त किये उस वक्त भी उक्त दोनो पुत्रियों के अधिकार क्लेम नहीं किया। तत्पश्चात् वादगत भूमि में से सड़क जयपुर–गंगानगर बाइपास निकली तो उसका मुआवजा भी हीराराम व कानाराम ने प्राप्त किया। उस वक्त भी उक्त दोनो तथाकथित लड़कियों ने अपना अधिकार क्लेम नहीं किया। सन् 2007 में हीराराम व कानाराम ने वादगत भूमि रेस्पो. सं. 7 बीरबल को बेची। सन् 1986 के इंतकाल सं. 544 की प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष सन् 2023 में पेश की अर्थात् 37 वर्ष बाद इंतकाल संख्या 544 की प्रथम अपील पेश की। सन् 1986 से लेकर आज तक करीब 10 जमाबन्दीयां बनी हुई है। इंतकाल सं. 544 का अंकन राजस्व जमाबन्दीयों में पिछले 37 वर्षों से चला आ रहा है। पिछले 37 वर्षों से तथाकथित उक्त दोनो लड़कियों ने अपने अधिकारों को क्लेम नहीं किया तथा जानबूझकर अपने अधिकारों का परित्याग किया। उक्त इंतकाल सं. 544 को अब चुनौती नहीं दी जा सकती। अपीलांट अपने कन्डेक्ट से एस्टोप्ड है– इस बिन्दु पर निम्न नजीर प्रस्तुत हैः– AIR 1981 - Pat -1 FB

विरासतन इंतकाल 37 वर्ष पहले स्वीकृत हुआ तथा करीब 10 जमाबंदियों में अपीलांट का नाम अंकित नहीं होने के कारण अपीलांट के टेनेन्सी राइट्स आरटी एक्ट की धारा 63 के क्लाज (iv) के अनुसार समाप्त होने से उसे अपील करने का अधिकार समाप्त हो चुका है। उक्त तथ्यात्मक व कानूनी स्थिति के मौजूद होने के कारण अपीलांट को अपने तथाकथित काश्तकारी अधिकारों के लिए नियमित राजस्व वाद करना चाहिए। इंतकाल संख्या 544 फिस्कल प्रोसिडींग की परिधि में आने के कारण व्यथित व्यक्ति को अपने अधिकारों की घोषणा के लिए नियमित राजस्व वाद कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिये। इंतकाल की समरी कार्यवाही से अपीलांट के अधिकारों का निर्धारण अंतिम रूप से कानूनन नहीं होता है। इस बिन्दु पर निम्न नजीरें प्रस्तुत हैः–

- RRD 1986 page no. 590
- RRD 2003 page no. 403
- RRD 1992 page no. 360
- RBJ 2022 page no. 370
- RBJ 2021 page no. 670
- RRD 1987 page no. 106

उक्त समस्त तथ्यों की रोशनी मे अपीलांट द्वारा दायर द्वितीय अपील खारिज योग्य है। अपीलांट चाहे तो अपने अधिकारों की घोषणा राजस्व वाद प्रस्तुत कर करवाने के लिए स्वतंत्र है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों, अधीनस्थ न्यायालय की उपलब्ध पत्रावली व न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2024 पारित कर इंतकाल सं. 544 दिनांक 19.05.1986 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट्स मृत्तक सिरीया उर्फ श्रीराम की जायज पुत्रियां है। अपीलाधीन विरासतन इंतकाल संख्या 544 दर्ज करते समय सिरीया उर्फ श्रीराम के समस्त वारिसान के नाम इंतकाल दर्ज होना चाहिये था, किन्तु तहसीलदार बीकानेर ने विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय सिरीया उर्फ श्रीराम के समस्त वारिसान का अंकन नहीं किया। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण में अपीलाधीन इंतकाल संख्या 544 दिनांक 19.05.1986 एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2024 को अपास्त किया जाकर सिरीया उर्फ श्रीराम के वारिसान अपीलांट का हिस्सा अनुसार अंकन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर